UPMO010053312025

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–03, मुरादाबाद ।</u>

पीठासीन अधिकारी– (सुरेन्द्र कुमार), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)**–UP02401

<u>दाण्डिक निगरानी संख्या–145/2025</u>

राकेश कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 वीरेंद्र कुमार गुप्ता,
निवासी–प्रगति विहार मझोली चौराहा, दिल्ली रोड, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद ।
.... **निगरानीकर्ता।**

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य।
2. राजीव कोठीवाल पुत्र ओमकार सरन कोठीवाल,
3. मंजू कोठीवाल पत्नी राजीव कोठीवाल,
   निवासीगण–चांसलर हाउस, आई.एफ.टी.एम. यूनिवर्सिटी, लोधीपुर, थाना पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद ।
4. महेंद्र कुमार पांडे पुत्र नामालूम,
   निवासी–आई.एफ.टी.एम. यूनिवर्सिटी, लोधीपुर, थाना पाकबड़ा, जिला मुरादाबाद ।

.... **प्रतिवादीगण।**

–: <u>निर्णय</u> :–

(1)– प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता ने विपक्षीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–1, मुरादाबाद द्वारा परिवाद संख्या–37939/2023, राकेश कुमार अग्रवाल बनाम राजीव कोठीवाल व अन्य में पारित प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 05.03.2025 के विरुद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के द्वारा निगरानीकर्ता का परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता में निरस्त किया गया है।

(2)– संक्षेप में परिवाद संख्या–37939/2023 के तथ्य इस प्रकार हैं कि, "परिवादी का अग्रवाल एसोशिएट नाम से बिजनेस है और वह घर व बिल्डिंग आदि में इन्टीरियर व एस्टीरियर का कार्य करवाता है तथा वादी के पास दिनांक 11.12.2021 को प्रतिवादी संख्या–1 व 2 आए और बोले कि उनके थाना सिविल लाइन के सामने वाले आवास पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिस कारण अब वह आई.एफ.टी.एम. स्थित गेस्ट हाउस रहेंगे और उनका रेनोवेशन इन्टीरियर व एस्टीरियर कार्य करवाना है। वादी के यह कहने पर कि उन्हें क्या–क्या कार्य करवाना है, इस पर प्रदिवादी संख्या–1 बोले कि हमें उसमें इटालियन स्टोन, स्टीरियल व इन्टीरियल वाटर प्रूफ, फर्नीचर पर पॉलिश, डायमण्ड पॉलिश, फ़्लोर, मन्दिर व और भी अन्य कार्य करवाने हैं। उसका क्या खर्चा होगा, यह भी बताओ। वादी ने मौके पर जाकर सारी जगह का मुआयना कर 32 लाख व टैक्स का खर्चा बताया। कार्य का पर्चा बनाकर दिया। जिस पर प्रतिवादी संख्या–2 ने पेस्ट कन्ट्रोल व वाटर प्रूफिंग भी करवाने को कहा तथा कैम्पस इन्जीनियर सी.एस. नगली से पाँच

लाख रूपये एडवांस वादी को देने और कार्य शुरू करने को कहा, जिसकी प्रतिलिपि दावे के साथ संलग्न है। इसके बाद वादी ने कार्य शुरू करा दिया तथा समाप्त होने के बाद वादी के तय रकम 32 लाख रूपये व टैक्स में 12,50,000/– व टैक्स रोक लिये। वादी के फोन करके अपने बकाया पैसे मांगने पर और यह कहने पर कि उसने सारे कार्य करवा दिये हैं और उसके 12,50,000/–रूपये क्यों रोक लिये। इस पर प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने वादी से प्रतिवादी संख्या–3 से मिलने को कहा वादी जब प्रतिवादी संख्या–3 से मिला तो उसने वादी से रूखा व बदतमीजी से बोलते हुए कहा कि हमने जो पैसे दिये हैं वो भी ज्यादा है। अब तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ से निकल जाओ। वादी जब प्रतिवादी संख्या–2 के पास गया तो वह नहीं मिले और जब वादी ने फोन व व्हाट्सएप पर बात की तो टालमटोल करने लगे। उक्त प्रतिवादीगण ने वादी के धोखे, बेईमानी व कपट से 12,50,000/– रूपये रोक लिये तथा दिनांक 13.08.2023 को टिन्कू व मुजफ्फर जो कि वादी के यहाँ पेंटिंग व पत्थर लगाने का कार्य करते हैं तथा जिन्होंने प्रतिवादीगण के नये निवास पर भी कार्य किया है, को लेकर वादी प्रतिवादी संख्या–1 व 2 के घर गया और अपने बकाया पैसों की मांग की तो प्रतिवादीगण संख्या–1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या–3 को बुला लिया तथा उक्त तीनों प्रतिवादीगण ने वादी व उसके साथ गये लोगों के साथ गाली गलौच की और धक्का देकर यह कहकर निकाल दिया कि अब कोई पैसा नहीं मिलेगा। उक्त प्रतिवादीगण ने धोखाधड़ी व बेईमानी से 12,50,000/– रूपये हड़प लिये हैं। प्रतिवादीगण के प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वादी थाने गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।"

(3)– विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष परिवादी के बयान अंतर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 तथा पी0 डब्लू0–1 टिन्कू शर्मा व पी0 डब्लू–2 मुजफ्फर आलम के बयान अंतर्गत धारा–202 द0प्र0सं0 अंकित किये गए। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के उपरोक्त अभिकथनों एवं उसके द्वारा परिवाद में दाखिल किये गये प्रपत्रों तथा परिवादी के बयान अंतर्गत धारा–200 तथा पी0 डब्लू0–1 व 2 के बयानों अंतर्गत धारा–202 द0प्र0सं0 के आधार पर निगरानीकर्ता का परिवाद अन्तर्गत धारा–203 दण्ड प्रक्रिया संहिता में आदेश दिनांकित 05.03.2025 के द्वारा निरस्त किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता द्वारा यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत की गई है।

(4)– निगरानीकर्तनी द्वारा निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किये बिना तथा कानून और साक्ष्य के प्रावधानों के विरुद्ध परिवाद को खारिज करने का आदेश पारित किया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जाँच नहीं की और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का विश्लेषण और परीक्षण किए बिना ही नियम के विरुद्ध आदेश पारित किया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण और जाँच किये बिना, कानून के स्थापित सिद्धांत के विरुद्ध निरस्तीकरण का आदेश पारित किया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार किये बिना परिवाद खारिज करने का आदेश पारित किया है। विद्वान अवर न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का ठीक से अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि गवाह संख्या–1 टिंकू शर्मा और गवाह संख्या–2 मुजफ्फर आलम ने उस राशि के बारे में स्पष्ट और निश्चित बयान दिये हैं जो निगरानीकर्ता को

12,50,000/–रूपये की धनराशि भुगतान नहीं की गयी थी। विद्वान अवर न्यायालय पी0 डब्लू0–1 और पी0 डब्लू0–2 के बयान और साथ ही निगरानीकर्ता द्वारा प्रदान की गयी व्हाट्सएप चैट को समझने में विफल रहे हैं जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि निगरानीकर्ता ही अपने काम के लिए पैसे मांग रहा था, न कि प्रतिवादी, जो कथित रिपोर्ट के अनुसार उसे काम पूरा करने के लिए कह रहा था। विद्वान अवर न्यायालय ने पुलिस रिपोर्ट को विश्वसनीय मानने में गलती है, क्योंकि प्रेम सिंह का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया था, जिससे याचिकाकर्ता पर विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाये गये आरोपों को साबित किया जा सके। विद्वान अवर न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का कानून के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया है और अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना बर्खास्तगी का विवादित निर्णय पारित किया है। विद्वान अवर न्यायालय का निष्कर्ष रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के भार के विरुद्ध है तथा आदेश पारित करने में गलती की है। विद्वान अवर न्यायालय ने इस तथ्य को नहीं समझा कि कथित पुलिस रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवादी पक्षों के बीच हुए समझौते से इन्कार नहीं कर रहा है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि समझौता हुआ था। इसलिए विद्वान अवर न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करने में गलती की कि शिकायतकर्ता उक्त संपत्ति के नवीनीकरण के समझौते के संबंध में कोई सबूत पेश करने में विफल रहा। अतः निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी स्वीकार करने तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या–37939/2023, राकेश कुमार अग्रवाल बनाम राजीव कोठीवाल एवं अन्य में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.03.2025 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

(5) पत्रावली में विपक्षी संख्या–2 ता 4 उपस्थित आये तथा उनके द्वारा निगरानीकर्ता की उक्त निगरानी पर आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया है कि, प्रस्तुत रिवीजन प्रार्थना पत्र खिलाफ कानून खिलाफ वाक्यात है। प्रस्तुत रिवीजन विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं0– 1, मुरादाबाद द्वारा परिवाद सं0–37939/2023 राकेश कुमार अग्रवाल बनाम राजीव कोठीवाल आदि में पारित आदेश दिनांकित 05.03.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है। उक्त परिवाद में बहुत ही विवादास्पद बिन्दुओं करार/अनुबन्ध को पूर्ण न करने व अनुबन्ध के अनुसार बकाया राशि का भुगतान न करने का समावेश था जो कि दीवानी प्रकृति का था और केवल दीवानी न्यायालय द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता था। परिवादी द्वारा दिनांक 13.08.2023 की झूठी घटना का समावेश करते हुये व झूठा आपराधिक कृत्य दिखाते हुये उक्त परिवाद योजित किया गया था। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय व मा० उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विभिन्न विधिक व्यवस्थाओं के परिपेक्ष में उक्त परिवाद कानूनन पोषणीय ना होने के कारण विधि अनुसार सही रूप से निरस्त किया गया है। मा० उच्चतम न्यायालय व मा० उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दीवानी प्रकृति के विवादों को आपराधिक कृत्यों में रूपान्तरित करते हुये फौजदारी प्रकृति का नहीं दिखाया जा सकता है और न ही फौजदारी न्यायालय को इस प्रकार के परिवादों को ग्रहण करते हुये श्रवण करने का क्षेत्राधिकार है। प्रस्तुत निगरानी में अनुबन्ध के अनुसार शेष राशि का भुगतान न किये जाने का विवाद है, जबकि निगरानीकर्ता द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का कोई अनुपालन नहीं किया और तय शुदा मैटेरियल के स्थान पर घटिया स्तर के मैटेरियल का इस्तेमाल करते हुये कार्य को मध्य में ही अधूरा छोड़कर चला गया जिसके कारण से आपत्तिकर्तागण को अंकन 14,00,672/– रूपये खर्च करते हुये, निगरानीकर्ता द्वारा

निम्न स्तर के मैटेरियल का इस्तेमाल करते हुये जो कार्य किया गया उसका सुधार कराते हुये उक्त अधूरे कार्यों को अन्य व्यक्ति से पूर्ण कराना पड़ा जिसके लिए निगरानीकर्ता प्रथम दृष्टया पूर्ण रूप से दोषी है। निगरानीकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि उसके द्वारा लगभग 32 लाख रूपये का कार्य किया गया हो और उसके लगभग 12.50 लाख रूपये आपत्तिकर्तागण पर बकाया हो। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त परिवाद को निरस्त किया गया है जो कि विधि सम्मत है। आपत्तिकर्तागण सं0–2 व 3 व उनके पूर्वजों की गणना मुरादाबाद शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों में होती है। निगरानीकर्ता द्वारा उनकी स्वच्छ छवि को धूमिल करने के उद्देश्य व अनुचित तरीके से धन ऐंठने की नीयत से उक्त निगरानी योजित की गयी है जबकि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि अनुसार सही रूप से निगरानीकर्ता का परिवाद निरस्त किया गया है। यह कि निगरानीकर्ता की निगरानी प्रत्येक दशा में कानूनन पोषणीय ना होने के कारण खण्डित किये जाने के योग्य है। अतः निगरानी को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

(6)– निगरानीकर्ता द्वारा कागज संख्या–5 बी/1 ता 5 बी/3 अवर न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति, कागज संख्या–6 बी/2 स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, 7 बी/1 ता 7 बी/2 पी0 डब्लू0–1 टिन्कू शर्मा के बयान की प्रमाणित प्रति, 8 बी/1 ता 8 बी/2 पी0 डब्लू0–2 मुजफ्फर आलम के बयान की प्रमाणित प्रति, 9 बी/2 थाना पाकबड़ा की आख्या की प्रमाणित प्रति तथा दौराने निगरानी बहस सूची के माध्यम से टैक्स इन्वॉयस दिनांकित 14.12.2021 लक्ष्मी मार्बल, टैक्स इन्वॉयस दिनांकित 23.12.2021 लक्ष्मी मार्बल, बिल्स ऑफ सप्लाई गुन्जन पैन्ट एण्ड हार्डबेयर दिनांकित 18.02.2022, 17.02.2022, 19.02.2022, 23.02.2022, टैक्स इन्वॉयस दिनांकित 08.12.2021, 10.12.2021, 24.02.2022, 01.12.2021 बैजनाथ राजाराम, टैक्स इन्वॉयस दिनांकित 20.05.2021, 14.12.2021, 29.01.2022 एकरो पैन्ट्स, टैक्स इन्वॉयस दिनांकित 29.01.2022 केल्वया डूर कार्स(इण्डिया), टैक्स इन्वॉयस दिनांकित 21.03.2022, 31.12.2021 गुल्जारी लाल महानन्दन, टैक्स इन्वॉयस दिनांकित 03.02.2022, 01.02.2022, 03.12.2021, 08.10.2021, 29.09.2021, 01.09.2021, 25.06.2021, 05.05.2022, 02.05.2022, 25.09.2021 एकरो पैन्ट्स, टैक्स इन्वॉयस दिनांकित 18.09.2021 एल.एस. ट्रेडर्स, टैक्स इन्वॉयस दिनांकित 31.03.2022 मुकेश ग्लास वर्क्स, टैक्स इन्वॉयस दिनांकित 28.02.2022 सुनेजा हार्डवेयर स्टोर की रसीदें दाखिल की गयी हैं।

(7)– मैंने निगरानीकर्ता व विपक्षी संख्या–2 ता 4 के विद्वान अधिवक्तागण एवं विपक्षी सं0–1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) की बहस को सुना एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सम्यक रूपेण अवलोकन किया।

(8)– विपक्षी संख्या–2 ता 4 के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षी सं0–1 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिपूर्ण आदेश पारित किया गया है। अतः अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.03.2025 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

(9)– निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि–विरूद्ध आदेश पारित नहीं किया है। विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत तलबी आदेश दिनांकित 05.03.2025 को अपास्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने की याचनी की गयी है।

(10)– विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि, निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि विपक्षीगण आई.एफ.टी.एम. स्थित गेस्ट हाउस में रेनोवेशन का कार्य, जैसे इन्टीरियर व एस्टीरियर कार्य करवाना है तथा उसमें इटालियन स्टोन, स्टीरियल व इन्टीरियल वाटर प्रूफ, फर्नीचर पर पॉलिश, डायमण्ड पॉलिश, फ्लोर, मन्दिर व और भी अन्य कार्य, करवाने हेतु निगरानीकर्ता/परिवादी के पास आये तथा निगरानीकर्ता/परिवादी ने उक्त कार्य का खर्चा 32 लाख व टैक्स की धनराशि बतायी। उक्त धनराशि में से शेष 12,50,000/–रूपये निगरानीकर्ता/परिवादी को विपक्षीगण द्वारा भुगतान न किये जाने तथा शेष रूपये मांगने पर धक्का देने व गाली गलौच करने का कथन किया गया है। निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा अपने परिवाद में किये गये कथनों के समर्थन में कोई लिखित एग्रीमेन्ट की प्रति दाखिल नहीं की गयी है। परिवादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में आई.एफ.टी.एम. युनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस (चान्सलर हाउस) के रिनोवेशन के कार्य के 15 लाख व 3,50,000/–रूपये अर्थात् 18,50,000/– रूपये विपक्षीगण से प्राप्त होने का कथन किया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य रूपयों के लेन–देन का विवाद है जो सिविल प्रकृति का है। निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा शेष घटना, जो धक्का देने व गाली गलौच की बतायी है, का समय नहीं बताया गया है तथा निगरानीकर्ता/परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में थाने जाने का कथन किया है, परन्तु यह नहीं बताया है कि वह किस दिनांक को इस घटना के सम्बन्ध में थाने गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा गाली गलौच व धक्का मारने की घटना के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर दी गयी तहरीर की प्रति विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली में मौजूद नहीं है। निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा घटना के सम्बन्ध में पुलिस को फोन भी नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता/परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता में विपक्षीगण से शेष रूपये मांगने जाने पर विपक्षीगण द्वारा धक्का देने तथा गाली गलौच करने का कोई कथन नहीं किया है। विद्वान अवर न्यायालय की पत्रावली में सम्बन्धित थाने की जाँच आख्या संलग्न है, जिसमें अंकित है कि "आवेदक द्वारा जिस कार्य का बकाया दिखाया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा कोई लिखित एग्रीमेंट उपलब्ध नहीं कराया गया है। आवेदक द्वारा यह भी जानकारी नहीं दी गयी है कि उसे कुल कितना भुगतान प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा विपक्षीगण पर गाली गलौच और धक्का दिये जाने सम्बन्धी जो आरोप अंकित किये गये हैं, जाँच से उनकी पुष्टि नहीं हुई है। विपक्षी समाज के प्रतिष्ठित एवं शिक्षित व्यक्ति हैं जो शिक्षण संस्थान चला रहे हैं। गाली गलौच और धक्का दिये जाने सम्बन्धी लगाये गये आरोप भ्रामक व निराधार पाये गये हैं।" जिससे स्पष्ट है कि जाँच के समय निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा कोई लिखित एग्रीमेन्ट भी उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा थाने की जाँच आख्या में भी गाली गलौच और धक्का दिये जाने वाली घटना की पुष्टि नहीं हुई है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सिविल प्रकृति के मामले को निगरानीकर्ता द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के मामले में लाने का प्रयास किया गया है। जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम

न्यायालय द्वारा **मौ0 इब्राहिम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार व अन्य (2009) 8 एस0सी0सी0 751** व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **श्रीमती रूखसाना प्रवीन लॉरी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 2018 ए0सी0जे0 1899** में यह निर्धारित किया है कि–"वर्तमान में यह प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है कि सिविल प्रकृित के मामलों को आपराधिक मामलों में परिवर्तित किया जा रहा है। इसका उद्देश अभियुक्त पर दबाव बनाने अथवा अभियुक्त से शत्रुता निभाने के लिए हो सकता है।"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक अभियोजन उत्पीड़न करने के एक हथियार के रूप में अथवा व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए अथवा अभियुक्त पर विद्वेषपूर्ण आशय से दबाव बनाने के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए।"

(11)– उपरोक्त समस्त विश्लेषण तथा माननीय न्यायालय की उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–1, मुरादाबाद द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 05.03.2025 के गंभीरतापूर्वक अवलोकन से पुनरीक्षण न्यायालय की राय में आलोच्य आदेश दिनांकित 05.03.2025 विधिक त्रुटि से ग्रसित नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.03.2025 पुष्ट किया जाकर, प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता राकेश कुमार अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–145/2025, अन्तर्गत धारा–438 बी0एन0एस0एस0 निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या–37939/2023 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 05.03.2025 पुष्ट किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि, इस आदेश की एक प्रति, अवर न्यायालय में नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 21.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

(सुरेन्द्र कुमार)
दिनांकः 21.07.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–3, मुरादाबाद।